हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19.08.2019 प्रार्थीया हमीर कौर के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में श्रीमान् न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2011 व डिक्री दिनांक 17.03.2011 व संशोधित आदेश व डिक्री दिनांक 28.03.2011 से व्यथित होकर निर्णय के विरूद्ध श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करनें पर माननीय अपीलान्ट न्यायालय द्वारा श्रीमान् न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए कब्जे के अनुसार पुनः नये सिरे से निर्णय प्रसारित करनें के आदेश दिये जाकर उभयपक्ष को दिनांक 15.12.2017 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था।

चुँकि श्रीमान् न्यायालय का आदेश दिनांक 28.02.2011 व डिक्री दिनांक 17.03.2011 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय से अपास्त हो जानें के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल किया जावे।

प्रार्थीया के अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रकरण में आदेश दिनांक 19.02.2001 को वाद वादी खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का काऊन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होनें पर दिनांक आदेश दिनांक 28.02.2011 को आदेश पारित किया जाकर दिनांक 17.03.2011 को अन्तिम डिक्री पारित की गई।

अन्तिम डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्वीकार होने पर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2011 तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 17.03.2011 अपास्त होनें पर वर्तमान में इस न्यायालय का निर्णय प्रभावहीन हो चुका है। इस कारण प्रार्थीया हमीर कौर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक दिनांक 15.12.2017 के द्वारा उभयपक्ष को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। परन्तु उभयपक्ष असालतन/वकालतन इस न्यायानय में आदिनाक तक उपस्थित नहीं आये।

उभयपक्ष को बार बार आवाज लगवाये जानें पर भी उभयपक्ष असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये अतः वाद वादी/काऊन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का वर्तमान स्तर पर अदम पैरवी/अदम हाजरी खारिज किया जाकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2011 तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 17.03.2011 अपास्त होनें से निर्णय दिनांक 28.02.2011 तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 17.03.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।

निर्णय दिनांक 28.02.2011 तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 17.03.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल होनें से यदि कोई पक्षकार प्रभावित होता है, तो वह वर्तमान स्थित एवम् राजस्व अभिलेख के अनुसार पुनः नवीन वाद पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को पालना हेतु लिखा जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:57:02 IST
Reason: SelfAttested